UPHM010035682022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर

पीठासीन अधिकारी- (चन्द्रभान सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06180

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1697/2022

सत्यप्रकाश पुत्र राजाराम निवासी मुहल्ला पठानपुरा , नई बस्ती, कस्बा व थाना राठ, जिला हमीरपुर, उ०प्र०। **.......प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

राज्य उ०प्र० **.........विरुद्ध पक्ष**

धारा-420, 467, 468, 471, 272, 273,
120B भा0 द 0 सं0 व 59 खाद्य सुरक्षा अधि०
मु०अ०सं०-487/2022
थाना- राठ , **जिला**-हमीरपुर

17.10.2022

आवेदक/अभियुक्त सत्यप्रकाश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-487/2022, धारा- 420, 467, 468, 471, 272, 273, 120B भा0 द 0 सं0 व 59 खाद्य सुरक्षा अधिनियम, थाना राठ, जिला हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जेल में निरुद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से पैरोकार राधेश्याम का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र ,माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि व.उ.नि. पन्धारी सरोज मय उ.नि. सुजीत कुमार व म.उ.नि. कल्पना सिंह हमराही का. पंकज कुमार व का. देवेन्द्र कुमार व का. विशाल साहू का अनिल दिवाकर व का. अनिल कुमार मय जीप सरकारी यू0 पी0 91 जी 0148 के थाना हाजा से बहवाले रपट नं 60 समय 19.36 पर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम शान्ति व्यवस्था एवं तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त में करवा राठ में रानी गेट के पास मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि जागेश्वर गुप्ता अपने घर में अवैध गुटखा तम्बाकू, अपमिश्रित अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा है जो पकड़ा जा सकता है एवं भारी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री व मशीने बरामद हो सकती हैं। सूचना पर विश्वास कर पुलिस पार्टी मुखबिर के बताये हुए स्थान पर गये तो मुखबिर खास से जागेश्वर के मकान के सामने इशारा कर बताया कि साहब यह वही मकान है जिसमे अवैध रूप से गुटका बनाने का कारोबार किया जाता है। पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटा कि एक व्यक्ति ने आकर दरवाजा खोला दरवाजा खोलते ही वह व्यक्ति अपने घर के अंदर की ओर भागने का प्रयास करना चाहा कि एक बारगी उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता पूछा गया तो अपना नाम जागेश्वर गुप्ता उर्फ मुन्ना पुत्र सन्तराम गुप्ता निवासी छोटी जुलेहटी कस्वा व थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 48 वर्ष बताया एवं भागने का कारण पूछा तो पहले इधर उधर की बाते कर गुमराह करने का प्रयास किया किन्तु जब कड़ाई से पूछताछ करते हुये नियमानुसार खाना तलाशी घर की ली गई तो जागेश्वर के घर के अंदर बने तलघर से

एक अटट सुपारी काटने की मशीन, तम्बाकू के कुल 36 पैकेट पांच बोरो में सुपारी कटी ग्यारह बोरो में पंडित सुपारी रैपर रोल तीन बोरी कुबेर रैपर रोल एक बोरी सुपारी बुरादा 10 बोरा, एक पिपिया में कैमिकल करीब 03 ली0 कैमिकल एव दो ली0 पिपरमेण्ट बरामद हुआ। जागेश्वर से कड़ाई से पूछा गया तो बताया कि वह अपने घर पर तम्बाकू गुटका बनाने का कार्य करता है। उसका साला स्वदेश व अकिलेश उर्फ अक्कू इस कारोबार मे पार्टनर हैं। उक्त सम्बंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य खाद्य निरीक्षक एव वणिज्य कर अधिकारी को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया वाणिज्य कर अधिकारी रविन्द कुमार एसी (एसआईबी) बांदा, श्याम जीत वर्मा सीटीओ मोबाइल स्क्वायड हमीरपुर तथा श्री बी0 एल0 प्रजापति खाद्य सुरक्षा अधिकारी मो0 नं0 8433291248 मौके पर आ गये जिनके द्वारा बरामद माल से नमूना परीक्षण हेतु निकाल कर शेष अन्य माल उपरोक्त पुलिस पार्टी को सुपुर्द किया गया तथा जागेश्वर उपरोक को उसके कृत्य से अवगत कराते हुये समय करीब 22.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा कड़ाई से पूछने पर जागेश्वर ने बताया कि उसके अलावा महेश लोधी अपने घर पर बने हुए तम्बाकू गुटका की पैकिंग कराता है। जहाँ पर सुपारी काटने व पैकिंग करने की मशीन महेश के घर पर लगी हुई है तथा मौके पर बरामद उक्त माल बतौर नमूना समस्त बरामद माल का निकालकर तथा अन्य शेष माल को उसी बोरो तथा पिपिया में रखकर सीलकर सर्वशीलमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा पकडे गये व्यक्ति जागेश्वर उपरोक्त को साथ लेकर समस्त पुलिस बल के साथ ग्राम धनौरी महेश लोधी के घर पर आया था। जागेश्वर के माध्यम से घर का दरवाजा खुलवाया जैसे ही एक व्यक्ति द्वारा मकान का दरवाजा खोला उसे तुरन्त मौके पर ही पकड़ लिया गया जिससे नाम व पता पूछा गया तो अपना नाम महेश लोधी बताया जिसके घर में गुटका पैक करने वाली एक अदद मशीन, एक अदद सुपारी काटने वाली मशीन और 04 बोरो में सुपारी तम्बाकू मिश्रण व एक पिपिया में कैमिकल करीब 02 ली0 कैमिकल एव दो ली0 पिपरमेण्ट बरामद हुआ जिससे कड़ाई से पूछा गया तो बताया कि वह गुटका सुपारी के मिश्रण पैकिंग के काम करता है। इस माल का मालिक जसवन्त है , जिसमें सत्य प्रकाश तथा अकिलेश उर्फ अक्कू भी इस माल को लाने एवं ले जाने तथा पैकिंग कर सप्लाई कराने का काम करते हैं। उक्त सम्बंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना पर श्री मनोज कुमार जायसवाल मुख्य खाद्य निरीक्षक हमीरपुर मो० नं० 9451942814 व श्री नन्दलाल गुप्ता खाद्य निरीक्षक मो० नं० 7651975352 तथा श्री रविन्द्र कुमार निरंजन खाद्य निरीक्षक मो० नं० 8077593157 तथा वाणिज्य कर अधिकारी रविन्द्र कुमार एसी (एसआईबी) बांदा, श्याम जीत वर्मा सीटीओ मोबाइल स्क्वायड हमीरपुर मौके पर उपस्थित आये जिनके द्वारा मौके पर बरामद माल से नमूना परीक्षण लेकर सर्वशील मुहर कर कब्जा मे लिया गया तथा शेष माल हम पुलिस टीम को सुपुर्द किया गया साथ ही श्री बी 0 एल 0 प्रजापति खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमीरपुर द्वारा जागेश्वर के मकान छोटी जुलेहटी मे पंहुचकर बरामदशुदा माल से नमूना परीक्षण हेतु निकालकर शेष माल पुलिस पार्टी को सुपुर्दगी मे दिया गया। बरामदमाल को उन्हीं बोरो मे भरकर सील कर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किये गये अभियुक्तगण द्वारा स्वंय एंव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मानव जीवन स्वास्थ्य से असुरक्षित हानिकारक तथा जान लेवा मानव खाद्य गुटका व पान मसाला व तम्बाकू युक्त सुपारी का निर्माण किया जाता है। इस हानिकारक खाद्य पदार्थो के सेवन से गम्भीर मानव उपहति शरीर के प्रमुख अंगो के कार्य प्रणाली पर दुष्प्रभाव कैंसर ह्रदय रोग शवास रोग जैसे जीवन घातक बीमारियों तथा मृत्यु कारित हो सकता है। उपर्ययुक्त अभियुक्तगण द्वारा गुटका पान मसाला तम्बाकू युक्त सुपारी में जहरीले रासायनिक पदार्थो का मिश्रण किया जाता हो मृत्यु का कारण बनता है। पकड़े गये अभियुक्तगण को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद

माल को सर्व मोहर कर सील किया गया तथा फर्द मौके पर तैयार की गयी। उक्त आधार पर घटना के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है एवं झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह झूठी व बनावटी है। घटना का कोई भी स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी घर का एक मात्र कमाऊ व्यक्ति है तथा जेल में रहने से सख्त नुकसान व हकतलफी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ जमानत के योग्य हैं। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा हानिकारक तथा जानलेवा गुटका का निर्माण किया गया है तथा उसके कब्जे से भारी मात्रा में गुटका बनाने की सामग्री एवं मशीने नाजायज रूप से बरामद की गयी हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति है तथा जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सी० डी० के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर गुटका बनाने तथा उसके कब्जे से गुटका बनाने की सामग्री एवं मशीन बरामद होने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया है कि उसके द्वारा कभी भी गुटका बनाने का कोई कार्य नहीं किया गया है उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है तथा उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी दर्शित नहीं होता है। प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह अत्यधिक मात्रा में नहीं है। प्रार्थी /अभियुक्त के सहअभियुक्त महेश लोधी की जमानत दिनांक 10.10.2022 को प्रभारी सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 28.09.2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण दोष पर न जाते हुए , प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सत्यप्रकाश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 75,000/- रुपये का स्वबंधपत्र एवं इसी समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू पत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक-17.10.2022

अपर सत्र न्यायाधीश ,
न्यायालय सं0-1, हमीरपुर।